"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 598] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 नवम्बर 2014— कार्तिक 26, शक 1936

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक 2562/1764/2014/19/तक-4.— भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रायगढ़ जिले के सूरजगढ़-नदीगांव मार्ग के 1/2 किमी पर स्थित महानदी पुल पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2527/एफ-20-29/2010/19/टी-4, दिनांक 29 मार्च 2011 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, पथकर उद्गृहीत करती है और छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैनुअल के परिशिष्ट 9.26 में सूचीबद्ध सभी वाहनों को उक्त पथकर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2014

क्रमांक 2562/1764/2014/19/तक-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2562/1764/2014/19/तक-4, दिनांक 17-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 17th November 2014

NOTIFICATION

No. 2562/1764/2014/19/T-4.— In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), the State Government, hereby, levies toll tax on Mahanadi River Bridge located on 1/2 km of Surajgarh-Nadigaon Road in Raigarh District at the rates specified in schedule annexed with this Department Notification No. 2527/F-20-29/19/T-4, dated 29th March, 2011 and exempts all the vehicles listed in Appendix 9.26 of Chhattisgarh Work Department Manual from payment of the said toll.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.